ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13.07.2026 शाम 5.00 बजे है (ऑफलाइन या ऑनलाइन)

ई-नीलामी की तिथि 14.07.2026 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है

(बिड़ी के समाप्त तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के अतिरिक्त विस्तार के साथ)

जारीकर्ता/न्यायालय का नाम	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण	मूल विक्रय (रु.) / आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी (रु.) / बोली वृद्धि राशि (रु.)	नीलामी की तिथि एवं समय / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
जारीकर्ता: 1. राजकीय सिंह सुत महेश्वर सिंह (जारीकर्ता) पता: संदेश लाल किराना मेडिकल के पास वाली गली पर स्थित के सामने ग्राम चामसीखेड़ा, फतेहाबाद, हरियाणा-121101 सहायक: 1. सुनील कुमार सुत विजय नंद, पता: मकान नंबर 1300 वार्ड नंबर 12 जवाहर नगर, फिरोज़ाबाद-हरियाणा-121505	खेत/खाली संख्या 314 किस्म/उपयोग, रकबा 0.05, किस्म 1414-01, है 3/2004 किसी की सीमा तक मेरा पूर्वजों की पैतृक सम्पत्ति, आवेदक के हिस्से में 0 भाग्यन 1-12 खाता लगभग 50 वर्ष पूर्व गया जाती है। की राजस्व लिए पूर्व संदेश लाल के नाम पर ग्राम चामसीखेड़ा, तहसील फतेहाबाद, जिला-फतेहाबाद के निवास है। (सांकेतिक अक्षरों के बाद)	मूल विक्रय (रु.) / आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी (रु.) / बोली वृद्धि राशि (रु.) रु. 5,70,333.33/- तिथि 14.07.2026 समय समय बजे अवधि एवं अंतर प्रत्येक रु. 2.75 लाख रु. 2.33 लाख रु. 12,000/-	नीलामी की तिथि एवं समय समय ईएमडी जमा करने बजे तक: 14 जुलाई 2026 (ऑनलाइन / बिड़ी की समाप्ति के अतिरिक्त विस्तार सहित) अतिरिक्त विस्तार

प्राधिकृत अधिकारी की विस्तृत विवरण, सम्पर्क नं. [illegible]

दिनांक : 29.07.2026
स्थान : फतेहाबाद

कृते जिला सीमा
प्राधिकृत अधिकारी

सर्फेसी-26
(अपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 38 के अनुसार ई)
केवल सरकार ईकेन मिडिया,
लाजी केव, नई दिल्ली के समक्ष

सर्फेसी अधिनियम 2013, सर्फेसी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और अपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8(6) (1) के तहत दी

और

बीडीएस रेमुनरी सहित लिमिटेड, नियत कार्यालय सहित के-13 की राजधानी, नहरू विहार मेन 11, दिल्ली, भारत, 110086 के पक्षों में

पक्षों/पक्षियाँ ....ऋणदाता

उपरोक्त ऋणदाता की सूचित दिए गए है कि कम्पनी ने सर्फेसी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत अपनी के रिमाइंडर और नोटिफिकेशन ने प्रोडक्ट्स लोन हेतु दुलिकाएं के लिए दिए गया की प्रतिभूत हुए कर्ज का 23.04 लिया है, का नियमित ऋणदाता ऋण किया ने कम्पनी को 18 मई 2026 को अपनी नियत ने कम्पनी के रजिस्ट्रार कार्यालय को "दिल्ली राज्य में ऋण प्रति समय" में लाने हेतु सूचित किए गए।

यदि किसी व्यक्ति या ऐसे कोई ने इस नोटिस प्रकाशन के प्रकाशित नोटिस के प्रकाशन से दो दिन व्यक्ति ने ऐसे किसी विवाद एवं कर्ज अथवा एवं लगत एवं किसी उपयोग लेन / लिया है अथवा है, अपने ऐसे दुः, के-13 सिंह, दूसरी मंजिल, राजेन्द्र नगर, सीनियर सेक्टोर, नई दिल्ली-110030 को उपरोक्त ऋण द्वारा देकर कर्ज एवं उपयोग एवं सूचित अनिवार्य को इसकी लिखे सूचित उपरोक्त प्रकाशन एवं इस नोटिस के प्रकाशन से सूचित ने लेकर लिखे के लेकर लिए है।

के-13 की राजधानी, नहरू विहार मेन 11, दिल्ली, भारत, 110086

सूचे और जारी और ने
डीएमएस रेमुनरी सहित लिमिटेड,
लिमिट सहित (लिमिट)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 20.06.2026

सर्फेसी-26
(अपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 38 के अनुसार ई)
केवल सरकार ईकेन मिडिया,
लाजी केव, नई दिल्ली के समक्ष

सर्फेसी अधिनियम 2013, सर्फेसी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और अपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8(6) (1) के तहत दी

और

बीडीएस इनफोसिस फाईनेंस एंड लीजिंग कंपनी सहित लिमिटेड, नियत कार्यालय सहित के-13 की राजधानी, नहरू विहार मेन 11, दिल्ली, भारत, 110086 के पक्षों में

पक्षों/पक्षियाँ ....ऋणदाता

उपरोक्त ऋणदाता की सूचित दिए गए है कि कम्पनी ने सर्फेसी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत अपनी के रिमाइंडर और नोटिफिकेशन ने प्रोडक्ट्स लोन हेतु दुलिकाएं के लिए दिए गया की प्रतिभूत हुए कर्ज का 23.04 लिया है, का नियमित ऋणदाता ऋण किया ने कम्पनी को 18 मई 2026 को अपनी नियत ने कम्पनी के रजिस्ट्रार कार्यालय को "दिल्ली राज्य में ऋण प्रति समय" में लाने हेतु सूचित किए गए।

यदि किसी व्यक्ति या ऐसे कोई ने इस नोटिस प्रकाशन के प्रकाशित नोटिस के प्रकाशन से दो दिन व्यक्ति ने ऐसे किसी विवाद एवं कर्ज अथवा एवं लगत एवं किसी उपयोग लेन / लिया है अथवा है, अपने ऐसे दुः, के-13 सिंह, दूसरी मंजिल, राजेन्द्र नगर, सीनियर सेक्टोर, नई दिल्ली-110030 को उपरोक्त ऋण द्वारा देकर कर्ज एवं उपयोग एवं सूचित अनिवार्य को इसकी लिखे सूचित उपरोक्त प्रकाशन एवं इस नोटिस के प्रकाशन से सूचित ने लेकर लिखे के लेकर लिए है।

के-13 की राजधानी, नहरू विहार मेन 11, दिल्ली, भारत, 110086

सूचे और जारी और ने
डीएमएस इनफोसिस फाईनेंस एंड लीजिंग
पक्षियाँ सहित लिमिटेड
सुनील मोहन (लिमिटेड)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 20.06.2026

Bank of India
Relationship Beyond Banking

बैंक ऑफ इंडिया
नई दिल्ली संपत्ति वसूली शाखा
तीसरी मंजिल, 'स्टार हाउस, पीबीडब्ल्यू प्लाजा हॉल के पास, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001,

ई-नीलामी बिक्री सूचना सम्पत्तियों की ई-नीलामी – 11.08.2026

फोन नं. 011-23755605 ई-मेल : AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस

अधः हस्ताक्षरकर्ता को और निम्न वर्णित ऋणदाताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / भारित है, का अचल, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत द्वारा किया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 11.08.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे के बीच नगद/ऑनलाइन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी द्वारा होगी।

ये भी जाने वाली आस्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: संपूर्ण की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में अभिलिखित है

क्र. सं.	शाखा और खाते का नाम	कर्जदार(रों) / जमानतदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य (लाख में) / ई.एम.डी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि (लाख में)	निरीक्षण की तिथि और समय (पूर्वाह्न 11.00 बजे से 1बजे 03.00 बजे तक)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और सम्पर्क नं.
1.	नई दिल्ली प्रवेश दिल्ली, ग्राम, दिल्ली एम.आर. अधिकारी	[illegible]	[illegible]	[illegible]	सांकेतिक	क) रु. 89.00 ख) रु. 8.90 ग) रु. 1.00	27-07-2026 पूर्व निरीक्षि के साथ	[illegible]
			[illegible]			क) रु. 3.37 करोड़ ख) रु. 33.70 लाख ग) रु. 1.00 लाख	27-07-2026 पूर्व निरीक्षि के साथ	
			[illegible]			क) रु. 3.32 करोड़ ख) रु. 33.20 लाख ग) रु. 1.00 लाख	27-07-2026 पूर्व निरीक्षि के साथ	
			[illegible]			क) रु. 5.5 करोड़ ख) रु. 55.00 लाख ग) रु. 1.00 लाख	27-07-2026 पूर्व निरीक्षि के साथ	

नियम और शर्तें

(1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://baanknet.com विलेखों के माध्यम से होगी।
(2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड प्राप्त करने के बाद, ईएमडी की इलेक्ट्रॉनिक / आरटीजीएस / एनईएफटी (https://baanknet.com) के माध्यम से निर्धारित ईएमडी राशि में जमा करना होगा।
(3) नीलामी की तिथि और समय - 11.08.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से नौ घंटा 60.00 बजे तक अधिकतम 60 मिनट प्रत्येक बोली-एक्सटेंशन के साथ।
(4) नीलामी टीएल कि बाद एक्सटेंशन दिया गया है, आरक्षित मूल्य पार प्राप्त इच्छुकित मूल्य पर मूल टीएल बोली उसी सांकेतिक अधिकार में अधिकृत मूल्यों में अपनी बोली बढ़ाएंगे।
(5) इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के बारे में विस्तृत ई-निविदा में पता होने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी BAANKNET के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 11.08.2026 तक ई-निविदा पोर्टल https://baanknet.com पर जमा करना होगा।
(6) नीलामी / खरीद प्रक्रिया को बिक्री के समय में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद बढ़ाने में मूल्य की कमी होगी जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को निलाम बोली/खरीद राशि का 20% बिक्री की तुरंत में बनाने कार्यालय एवं (बैंक खाते में टीएल) जमा करनी होगी अन्यथा अगली बोली (ईएमडी राशि जमा कर दी जाएगी)।
(7) बोली / खरीद राशि की शेष 80% राशि अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की तुरंत के 15 दिन के अंदर (बिक्रेता कार्य दिवस के दौरान) या पूर्व तय के अधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार विक्रेता में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गई किसी बिक्री तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर दिया जाएगा और अधिकृत अधिकारी / बैंक के पास नीलामी को फिर से बेचने का पूर्ण अधिकार होगा।
(8) सम्पूर्ण बिक्री राशि जब होगी के बाद, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे का जिम्मा नहीं होगा।
(9) बोली के विस्तृत विवरणों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक-https://www.bankofindia.co.in/Opportunities/Tender/Type=0 देखें।
(10) यदि कोई भी बोली की स्वीकार्यता अधिकारी / न्यायालयों की कार्यवाही का रोक की ई-नीलामी बिक्री की अधिसूचना है।
(11) इस नोटिस के बारे की स्वीकार्यता और किसी अन्य स्थानीय नाम के स्वामाना के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक : 29.06.2026 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

---

punjab national bank

[illegible]

IDBI BANK

होटल नं० एच-2, भूतल, चन्द्रशेखर टॉवर, जी-10/1, जंगपुरा पैलेस अगरा, उत्तर प्रदेश- 282002

क्षेत्रीय कार्यालय- दिल्ली रोड, पहाड़ी गेट, मथुरा के समक्ष, मुजफ्फर- 244001 (उत्तर प्रदेश)

बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के लिए बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना/बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। अचल अचल की और निम्न रूप से उधारकर्ता और गारंटरों को नोटिस दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका **नीलाम कराया** बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी जाकर **"जहाँ है जैसा है"**, **"जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर आईडीबीआई बैंक के कब्जा लेने में है। लोगों में उल्लिखित राशि और जब से यह **मए 23.04.352.74 + ब्याज भार एवं लागत** की वसूली के लिए देय लगता। **1. संजय खंडेलवाल, 2. उषा खंडेलवाल** : आरक्षित मूल्य **रु. 36,22,500/-** तथा और धरोहर राशि **रु. 3,62,250/-** नीचे। उपरोक्त, नियमों और शर्तों को देख सकें, आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण और सह-कार्यों के साथ उपरोक्त संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है: -

सं.	कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	निरीक्षण तारीख व समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	(ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी	प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अधिकारी के नाम एवं पता	पूर्वावलोकन की तारीख एवं समय
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]